न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 22 / 2024

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
अणसीदेवी पत्नी हरखाराम तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. डालूराम पुत्र पुरखाराम 2. पूनमाराम पुत्र पुरखाराम 3. भीखाराम पुत्र पुरखाराम 4. वालाराम पुत्र पुरखाराम कौम जाट साकिन सारणों का सरा, ग्राम पंचायत नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, बालोतरा। 5. तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री चिमन सिंह चौधरी, अधिवक्ता वादीनी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 01 की ओर से श्री नारायण कुमावत व 05 के पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 19.11.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा— सारणों का सरा पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी के खेत खसरा सं. 268 रकबा 5.2342 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 14.05.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउ[illegible] प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना [illegible] न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि [illegible] का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभयपक्ष अधिवक्तागण की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा— सारणों का सरा पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी के खेत खसरा सं. 268 रकबा 5.2342 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:11:52 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	अणसीदेवी पत्नी हरखाराम जाति जाट सा. देह खातेदार।	सारणों का सरा	268	1.7447	बा.दो.	0.10	गुलाबी
2.	डालूराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/4 पुनमाराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/4 भीखाराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/4 वालाराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार।	सारणों का सरा	268	3.4895	बा.दो.	0.21	आसमानी

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:11:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस.

उनवान

वादीनी | **बनाम** | **प्रतिवादीगण**

अणसीदेवी पत्नी हरखाराम
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

1. डालूराम पुत्र पुरखाराम
2. पूनमाराम पुत्र पुरखाराम
3. भीखाराम पुत्र पुरखाराम
4. वालाराम पुत्र पुरखाराम
   कौम जाट साकिन सारणों का सरा, ग्राम पंचायत नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, बालोतरा।
5. तहसीलदार सिणधरी।

दावा बाबतः— 53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :— 22／2024
निर्णय दिनांक :— 19.11.2025

वादी की ओर से **श्री चिमनसिंह चौधरी** अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत तथा प्रतिवादी सं. 05 की ओर राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.11.2025 को **श्री समदर सिंह भाटी** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**— वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 19.11.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 19.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 14:11:52 IST
Reason: SelfAttested